



(दिनांक 16.05.2017 को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।)



"सरकार एक ऐसा कार्यदल बनाने का प्रयास करती है जिसमें लिंग संतुलन प्रतिबिम्बित हो तथा महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है"।

### कर्मचारी चयन आयोग

#### विज्ञप्ति

#### संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2017

अंतिम तिथि: 16.06.2017

कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (टियर-I) की तिथि: 01.08.2017-20.08.2017

टियर-II की तिथि: 10.11.2017 और 11.11.2017

टियर-III की तिथि(वर्णनात्मक): 21.01.2018

टियर-IV (कौशल परीक्षा)की तिथि: फरवरी, 2018

फा.सं. 3/4/2016-नी. व यो. I, कर्मचारी चयन आयोग विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों में विभिन्न श्रेणी के पदों को भरने के लिए स्तर-II परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को चुनने हेतु 01.08.2017 से 20.08.2017 तक संयुक्त स्नातक स्तरीय(स्तर-I) परीक्षा, 2017, आयोजित करेगा। प्रशासनिक/सार्वजनिक आकस्मिकता के अधीन, संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा के माध्यम से पदों की विशेष श्रेणियों में अंतिम चयन, संबंधित मांगकर्ता मंत्रालयों/विभाग/कार्यालय/संवर्गों से परिणामों की घोषणा से पहले रिक्तियों की निश्चित संख्या की सूचना मिलने के अधीन किया जाएगा।

## 2. पदों का ब्यौरा :-

### 1. वेतन बैंड-II। 9300-34800/-रु. (संशोधन-पूर्व)

पदों के समूह	पद कोड	पद का नाम	मंत्रालय/विभाग /कार्यालय/संवर्ग	वर्गीकरण	ग्रेड वेतन (ग्रे पे)	पद के लिए अनुमत शारीरिक दिव्यांगता की प्रकृति	आयु सीमा
ए	एफ*	सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधीन भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग	समूह "ख" राजपत्रित (अलिपिक वर्गीय)	4800	अ.दि.(एक बांह, एक पैर, दोनों पैर) तथा श्रवण दिव्यांग	30 वर्ष से अधिक न हो।
	\$	सहायक लेखा अधिकारी	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधीन भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग	समूह "ख" राजपत्रित (अलिपिक वर्गीय)	4800	अ.दि.(एक बांह, एक पैर, दोनों पैर) तथा श्रवण दिव्यांग	30 वर्ष से अधिक न हो।

बी	ए	सहायक अनुभाग अधिकारी	केंद्रीय सचिवालय सेवा	समूह 'ख'	4600	एक बांह, एक पैर, दृष्टिहीन, दोनों पैर, एक बांह एवं एक पैर, अल्प दृष्टि तथा श्रवण दिव्यांग	20 - 30 वर्ष
	सी	सहायक अनुभाग अधिकारी	आसूचना ब्यूरो	समूह "ख"	4600	एक बांह, एक पैर, दृष्टिहीन, दोनों पैर, एक बांह एवं एक पैर, अल्प दृष्टि तथा श्रवण दिव्यांग	30 वर्ष से अधिक नहीं
	डी	सहायक अनुभाग अधिकारी	रेल मंत्रालय	समूह "ख"	4600	एक बांह, एक पैर, दृष्टिहीन, दोनों पैर, अल्प दृष्टि तथा श्रवण दिव्यांग	20 - 30 वर्ष
	ई	सहायक अनुभाग अधिकारी	विदेश मंत्रालय	समूह "ख"	4600	एक बांह, एक पैर, दृष्टिहीन, दोनों पैर, एक बांह एवं एक पैर, अल्प दृष्टि तथा श्रवण दिव्यांग	20 - 30 वर्ष
	जी	सहायक अनुभाग अधिकारी	सशस्त्र सेना मुख्यालय	समूह "ख"	4600	एक बांह, एक पैर, दृष्टिहीन, दोनों पैर, एक बांह एवं एक पैर, अल्प दृष्टि तथा श्रवण दिव्यांग	20 - 30 वर्ष
	एच	सहायक	अन्य मंत्रालय/विभाग/संगठन	समूह "ख"	4600	एक बांह, एक पैर, दृष्टिहीन, दोनों पैर, एक बांह एवं एक पैर, अल्प दृष्टि तथा श्रवण दिव्यांग	18 - 27 वर्ष
	>	सहायक	अन्य मंत्रालय/विभाग/संगठन	समूह "ख"	4600	एक बांह, एक पैर, दृष्टिहीन, दोनों पैर, एक बांह एवं एक पैर, अल्प दृष्टि तथा श्रवण दिव्यांग	20 - 30 वर्ष
	<	सहायक अनुभाग अधिकारी	अन्य मंत्रालय/विभाग/संगठन	समूह "ख"	4600	एक बांह, एक पैर, दृष्टिहीन, दोनों पैर, एक बांह एवं एक पैर, अल्प दृष्टि तथा श्रवण दिव्यांग	30 वर्ष से अधिक नहीं
	आई	सहायक	अन्य मंत्रालय/विभाग/संगठन,	समूह "ख"	4200	एक बांह, एक पैर, दृष्टिहीन, दोनों पैर, एक बांह एवं एक पैर, अल्प दृष्टि तथा श्रवण दिव्यांग	18 - 27 वर्ष
	&	सहायक/ अधीक्षक	अन्य मंत्रालय/विभाग/संगठन,	समूह "ख"	4200	एक बांह, एक पैर, दृष्टिहीन, दोनों पैर, एक बांह एवं एक पैर, अल्प दृष्टि तथा श्रवण दिव्यांग	30 वर्ष से अधिक नहीं
बी	जे	आयकर निरीक्षक	के.प्र.क बोर्ड	समूह "ग"	4600	एक बांह, एक पैर, दोनो पैर, एक बांह और एक पैर, श्रवण दिव्यांग	30 वर्ष से अधिक नहीं
	के	निरीक्षक (केंद्रीय उत्पाद शुल्क )	के.उ.शु.सी.शु बोर्ड	समूह "ख"	4600	एक बांह, एक पैर, एक बांह और एक पैर, श्रवण विकलांग	18 - 27 वर्ष
	एल	निरीक्षक (निवारक अधिकारी)	के.उ.शु.सी.शु बोर्ड	समूह "ख"	4600	एक पैर, श्रवण विकलांग	18 - 27 वर्ष
	एम	निरीक्षक (परीक्षक)	के.उ.शु.सी.शु बोर्ड	समूह "ख"	4600	एक पैर, श्रवण विकलांग	18 - 27 वर्ष

एन	सहायक प्रवर्तन अधिकारी	प्रवर्तन निदेशालय राजस्व विभाग	समूह "ख"	4600	यह पद शा.दि. अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है ।	30 वर्ष तक	
ओ	उप निरीक्षक	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो	समूह "ख"	4600	यह पद शा.दि. अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है ।	20-30 वर्ष	
पी	डाक निरीक्षक	डाक विभाग	समूह "ख"	4600	यह पद शा.दि. अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है ।	18 - 27 वर्ष	
क्यू	प्रभागीय लेखाकार	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधीन कार्यालय	समूह "ख"	4200	एक पैर, आंशिक बधिर, बधिर	30 वर्ष तक	
एस	निरीक्षक	केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो	समूह "ख"	4600	यह पद शा.दि. अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है ।	18 - 27 वर्ष	
%	उप निरीक्षक	राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए)	समूह "ख"	4200	यह पद शा.दि. अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है ।	30 वर्ष तक	
सी	आर	कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	समूह "ख"	4200	यह पद दिव्यांगता की निम्नलिखित प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पाए गए हैं।*	32 वर्ष तक

**सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी के पद के लिए (\*)**

क्रम सं.	दिव्यांगता की प्रकृति	वे शारीरिक अपेक्षाएं जिन्हें 40 % अथवा अधिक की दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को पूरा करना आवश्यक है।	दिव्यांग व्यक्ति की श्रेणियां
1.	अल्प दृष्टि (दृष्टि दिव्यांग)	एस, एस टी, डब्ल्यू, एम एफ, आर डब्ल्यू, एस ई, सी	अल्प दृष्टि व्यक्ति के बारे में सहायक साधनों और उपकरणों तथा उपयुक्त सॉफ्टवेयर अनलंब सहित विचार किया जाना चाहिए।
2.	श्रवण दिव्यांग	एस, एस टी, डब्ल्यू, एम एफ, आर डब्ल्यू, एस ई, सी	श्रवण दिव्यांग व्यक्ति सहायक साधनों और उपकरणों को लगाने के बाद सम्प्रेषण करने में समर्थ होना चाहिए।
3.	गति विषयक	एस, एस टी, डब्ल्यू, एम एफ, आर डब्ल्यू, एस ई, सी	एक बांह (एक बांह प्रभावित) एक पैर (एक पैर प्रभावित) एक बांह और एक पैर (एक बांह और एक पैर प्रभावित) दोनों पैर (दोनों पैर प्रभावित) गतिशीलता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। व्यक्तियों का मूल्यांकन सहायक साधनों और उपकरणों के साथ किया जाना चाहिए।

III. वेतन बैंड-1 5200-20200/-रु.(संशोधन-पूर्व)

समूह कोड	कोड	पद	मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/संवर्ग	वर्गीकरण	ग्रेड वेतन (ग्रे. पे.)	पद के लिए अनुमत शारीरिक दिव्यांगता की प्रकृति	आयु सीमा
डी	टी	लेखा परीक्षक	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अंतर्गत कार्यालय	समूह "ग"	2800	एक बांह , एक पैर , दोनो पैर तथा श्रवण दिव्यांग	18 - 27 वर्ष
	यू	लेखा परीक्षक	रक्षा लेखा महानियंत्रक के अंतर्गत कार्यालय	समूह "ग"	2800		18 - 27 वर्ष
	वी	लेखा परीक्षक	अन्य मंत्रालय/विभाग	समूह "ग"	2800		18 - 27 वर्ष
	डब्ल्यू	लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अंतर्गत कार्यालय	समूह "ग"	2800	एक बांह, एक पैर, एक बांह एवं एक पैर, दोनो पैर, दृष्टिहीन, अल्प दृष्टि, श्रवण दिव्यांग,	18 - 27 वर्ष
	एक्स	लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार	अन्य मंत्रालय/विभाग	समूह "ग"	2800	एक बांह, एक पैर, एक बांह एवं एक पैर, दोनों पैर, श्रवण दिव्यांग	18 - 27 वर्ष
	वाई	वरिष्ठ सचिवालय सहायक/उच्च श्रेणी लिपिक	के स लि से संवर्गों के अलावा केंद्रीय सरकार के कार्यालय/मंत्रालय	समूह "ग"	2400	एक बांह, एक पैर ,दोनों पैर, एक बांह और एक पैर, दृष्टिहीन, अल्प दृष्टि, श्रवण दिव्यांग	18 - 27 वर्ष
	जैड	कर सहायक	के.प्र.कर बोर्ड	समूह "ग"	2400	दोनों पैर ,एक पैर, आंशिक बधिर, बधिर, आंशिक दृष्टिहीन, दृष्टिहीन, एक बांह	18 - 27 वर्ष
	@	कर सहायक	के.उ.शु.सी.शु. बोर्ड	समूह "ग"	2400	दोनों पैर ,एक पैर, आंशिक बधिर, बधिर, आंशिक दृष्टिहीन, दृष्टिहीन, एक बांह	20 - 27 वर्ष
	#	उप निरीक्षक	केन्द्रीय नारकॉटिक्स ब्यूरो	समूह "ग"	2400	यह पद शा.दि. अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है ।	18 - 27 वर्ष

उपयोग की गई संक्षिप्तियां: एक बांह(ए.बा.), एक पैर(ए.पै.), एक बांह और एक पैर(ए.बा.पै.), दोनों पैर(दो.पै.), दृष्टिहीन(दृ.), अल्प दृष्टि(अ.दृ.), आंशिक बधिर(आं.ब.), बधिर(ब.) आंशिक दृष्टिहीन(आं.दृ.), श्रवण दिव्यांग (श्र.दि.)

**टिप्पणी 1 :** का.एवं प्र. विभाग के दिनांक 09.04.2009 के आदेश सं. 11012/7/2008-स्था (क) के अनुसार केंद्रीय सिविल सेवा नियमावली, 1965 के अंतर्गत वर्गीकृत पद निम्नानुसार हैं :

क्रम सं.	पदों का विवरण	पदों का वर्गीकरण
1	निम्नलिखित ग्रेड वेतन वाला केंद्रीय सिविल पद :- वेतन बैंड-2 में 9300-34800 रूपए के वेतनमान में 5400 रु., 4800 रु., 4600 रु. व 4200 रु.	समूह - ख
2	निम्नलिखित ग्रेड वेतन वाला केंद्रीय सिविल पद :- वेतन बैंड-1 में 5200-20200 रूपए के वेतनमान में 2800 रु., 2400 रु., 2000 रु., 1900 रु. व 1800 रूपए	समूह - ग

**टिप्पणी II:** तथापि, आयोग उपर्युक्त टिप्पणी-I में उद्धृत कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेशों के अनुसार पदों के वर्गीकरण पर ध्यान दिए बिना प्रयोक्ता विभागों द्वारा सूचित भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों और रिक्तियों के वर्गीकरण को स्वीकार करता है ।

**टिप्पणी III:** नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों को भारतवर्ष में कहीं भी सेवा करनी पड़ सकती है अर्थात् ये सभी पद अखिल भारतीय सेवा दायित्व(अ.भा.से.दा.) के हैं ।

**टिप्पणी IV:** सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पद के लिए चयनित अभ्यर्थी को, इस भर्ती के माध्यम से भरी जाने वाली अपेक्षित रिक्तियों की संख्या, अभ्यर्थी का योग्यता-क्रम और किसी विशेष राज्य के लिए उसकी वरीयता के आधार पर सम्पूर्ण भारत में फैले विभाग में विभिन्न कार्यालयों के लिए आवंटित किया जाएगा । इसके अतिरिक्त, चयनित अभ्यर्थी, जिनके पास वाणिज्य में स्नातक डिग्री अथवा वांछनीय अर्हता है, को प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर तथा रिक्तियों की उपलब्धता के अध्यधीन, अधिमानतः वाणिज्यिक स्ट्रीम के लिए आवंटित किया जाएगा ।

संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए एक ही आवेदन पत्र होगा । उन अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन नहीं करना होगा जिन्हें आयोग द्वारा स्तर-I परीक्षा के आधार पर (स्तर-II) परीक्षा में प्रवेश के लिए अर्हक घोषित किया गया है । स्तर-II परीक्षा के लिए अलग से कोई विज्ञप्ति/ विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जाएगा । अर्हक अभ्यर्थियों को स्तर-II परीक्षा की तिथियों के बारे में सूचित करते हुए, स्तर-I परीक्षा का परिणाम आयोग की वेबसाइट में प्रदर्शित किया जाएगा ।

**टिप्पणी V:** रिक्तियों की सूचना उचित समय पर दी जाएगी ।

### **3. आरक्षण**

- (i) पदों की प्रत्येक श्रेणी में रिक्तियों की निश्चित संख्या अंतिम परिणाम की घोषणा से कम से कम एक महीने पूर्व निर्धारित की जाएगी ।
- (ii) सभी श्रेणी के पदों/सेवाओं हेतु जहाँ कहीं भी लागू और स्वीकार्य हो, अनुसूचित जाति(अजा), अनुसूचित जनजाति(अजजा) अन्य पिछड़ा वर्ग(अपिव), भूतपूर्व सैनिक(भूपूसै) और शारीरिक रूप से दिव्यांग(शादि) अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का निर्धारण वर्तमान सरकारी आदेशों के अनुसार और मांगकर्ता मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/संवर्गों द्वारा सूचित किए गए अनुसार होगा ।
- (iii) वर्तमान सरकारी आदेशों/अनुदेशों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों केवल समूह 'ग' पदों के लिए आरक्षित होंगी न कि समूह "ख" पदों के लिए ।

### **4. राष्ट्रीयता/नागरिकता:**

अभ्यर्थी या तो

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल की प्रजा हो, या

(ग) भूटान की प्रजा हो, या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से बसने की इच्छा से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत में आ गया हो, या

(ङ) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, यूगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया(भूतपूर्व टंगानिका व जंजीबार), जांबिया, मालावी, जायरे, इथोपिया और वियतनाम से प्रवर्जन किया हो।

बशर्ते कि उपरोक्त (ख),(ग),(घ) तथा (ङ.) श्रेणियों का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया जा चुका हो ।

ऐसे अभ्यर्थी, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाणपत्र आवश्यक है, को परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है, परन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाणपत्र जारी करने के बाद ही दिया जाएगा ।

**5(क). आयु सीमा की गणना 1 अगस्त, 2017 को की जाएगी ।**

- |  |  |
|--|--|
| (i) वह पद जिसके लिए आयु सीमा 20 - 27 वर्ष है   | उसका जन्म 02.8.1990 से पूर्व और 01.8.1997 के पश्चात न हुआ हो । |
| (ii) वह पद जिसके लिए आयु सीमा 18 - 27 वर्ष है  | उसका जन्म 02.8.1990 से पूर्व और 01.8.1999 के पश्चात न हुआ हो । |
| (iii) वह पद जिसके लिए आयु सीमा 18 - 25 वर्ष है | उसका जन्म 02.8.1992 से पूर्व और 01.8.1999 के पश्चात न हुआ हो । |
| (iv) वह पद जिसके लिए आयु सीमा 21 - 27 वर्ष है  | उसका जन्म 02.8.1990 से पूर्व और 01.8.1996 के पश्चात न हुआ हो । |
| (v) वह पद जिसके लिए आयु सीमा 20 - 30 वर्ष है   | उसका जन्म 02.8.1987 से पूर्व और 01.8.1997 के पश्चात न हुआ हो । |
| (vi) वह पद जिसके लिए आयु सीमा 30 वर्ष तक है    | उसका जन्म 02.8.1987 से पूर्व और 01.8.1999 के पश्चात न हुआ हो । |
| (vii) वह पद जिसके लिए आयु सीमा 32 वर्ष तक है   | उसका जन्म 02.8.1985 से पूर्व और 01.8.1999 के पश्चात न हुआ हो । |

**5(ख)** आयु पात्रता के निर्धारण के लिए आयोग द्वारा केवल मैट्रिक/माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही स्वीकार की जाएगी तथा बाद में इसमें किसी परिवर्तन के अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न ही इसकी अनुमति दी जाएगी।

**5(ग)** सरकारी आदेशों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट की स्वीकार्यता तथा गणना की तिथि (01.8.2017) को आयु में छूट का दावा करने के लिए श्रेणी कोड नीचे दिए गए हैं :

कोड सं.	श्रेणी	ऊपरी आयु सीमा के अतिरिक्त आयु में स्वीकार्य(अनुज्ञेय) छूट
1	अजा/अजजा	05 वर्ष
2	अ पि व	03 वर्ष
3	शा दि	10 वर्ष
4	शा दि + अपिव	13 वर्ष
5	शा दि + अजा / अजजा	15 वर्ष
6	<b>(समूह 'ख' एवं 'ग' पदों के लिए)</b> भूतपूर्व सैनिक(अनारक्षित /सामान्य)	आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 03 वर्ष
7	भूतपूर्व सैनिक( अपिव )	आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 06 वर्ष (3वर्ष +3वर्ष)
8	भूतपूर्व सैनिक(अजा एवं अजजा)	आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 08 वर्ष(3वर्ष +5वर्ष)

12	<b>समूह 'ख' पदों के लिए</b> केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी ( <b>सामान्य/अनारक्षित</b> ) जिन्होंने आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	5 वर्ष
13	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी ( <b>अपिव</b> ) जिन्होंने आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	8 वर्ष (5+3) वर्ष
14	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी ( <b>अजा/अजजा</b> ) जिन्होंने आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	10 वर्ष (5+5) वर्ष
15	<b>समूह 'ग' पदों के लिए</b> केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी ( <b>सामान्य/अनारक्षित</b> ) जिन्होंने आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	40 वर्ष की आयु तक
17	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी ( <b>अपिव</b> ) जिन्होंने आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	43वर्ष की आयु तक
19	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी ( <b>अजा/अजजा</b> ) जिन्होंने आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	45 वर्ष की आयु तक
21	अभ्यर्थी जो साधारणतया 01 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1989 तक की अर्वाधि के दौरान जम्मू व कश्मीर राज्य के अधिवासी रहे हों ( <b>अनारक्षित/सामान्य</b> )।	05 वर्ष
22	अभ्यर्थी जो साधारणतया 01 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1989 तक की अर्वाधि के दौरान जम्मू व कश्मीर राज्य के अधिवासी रहे हों ( <b>अपिव</b> )।	08 वर्ष
23	अभ्यर्थी जो साधारणतया 01 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1989 तक की अर्वाधि के दौरान जम्मू व कश्मीर राज्य के अधिवासी रहे हों ( <b>अजा/अजजा</b> )।	10 वर्ष
24	<b>केवल समूह 'ग' पदों के लिए</b> विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो ( <b>अनारक्षित/सामान्य</b> )	35 वर्ष की आयु तक
25	विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो ( <b>अपिव</b> )	38 वर्ष की आयु तक
26	विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो ( <b>अजा/अजजा</b> )	40 वर्ष की आयु तक
27	किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक ( <b>अनारक्षित/सामान्य</b> )	05 वर्ष
28	किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक ( <b>अपिव</b> )	08(5+3) वर्ष
29	किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक ( <b>अजा/अजजा</b> )	10 (5+5) वर्ष

**5 (घ)** ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने अपनी पुनर्नियुक्ति के लिए भूतपूर्व सैनिक को दिए जाने वाले आरक्षण के लाभ को प्राप्त करके नियमित आधार पर केन्द्र सरकार के अंतर्गत सिविल पदों पर समूह 'ग' और 'घ' पदों में पहले से ही नौकरी प्राप्त कर ली है, वे शुल्क में छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं। तथापि, वे उत्तरवर्ती नौकरी के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं यदि वे सिविल नौकरी में पदभार ग्रहण करने के बाद तुरन्त विभिन्न रिक्तियों जिसके लिए उसने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिनांक 14 अगस्त, 2014 के का.ज्ञा.सं. 36034/1/2014-स्था(आर.) में यथा उल्लिखित प्रारंभिक सिविल नौकरी में कार्यभार ग्रहण से पहले रिक्तियों के लिए आवेदन किया था, के आवेदनों का तिथि वार ब्यौरे के संबंध में संबंधित नियोक्ता को स्वतः घोषणा/करता है/करती है/वचन देता है/वचन देती है।

**5 (ङ)** सशस्त्र सेनाओं में एक भूतपूर्व सैनिक की "काल अप सर्विस" की अवधि आयु में छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से नियमानुसार सशस्त्र सेनाओं में प्रदत्त सेवा के रूप में भी मानी जाएगी ।

**5 (च)** आरक्षण के लाभों को प्राप्त करने के प्रयोजन से भूतपूर्व सैनिक माने जाने के लिए संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओं के किसी भी सैनिक के लिए आवश्यक है कि कदाचार या अक्षमता के कारण सेवा से बरखास्तगी या सेवामुक्ति जैसे को छोड़कर उसने इस पद/सेवा के लिए आवेदन पत्र भेजने के संगत समय पर भूपूसै का दर्जा पहले ही हासिल कर लिया हो और/अथवा उसे सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त दस्तावेजी सबूतों के द्वारा अपनी इस अर्जित हकदारी को सिद्ध करने की स्थिति में होना चाहिए कि वह **आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि (अर्थात् 16.06.2017)** से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर सशस्त्र सेनाओं की विनिर्दिष्ट सेवा की अवधि पूरी कर लेगा।

**स्पष्टीकरण:** भूपूसै से **आशय** उस व्यक्ति से है-

- (i) जिसने भारतीय संघ की नियमित थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में लड़ाकू सैनिक अथवा गैर लड़ाकू सैनिक के रूप में किसी भी पद पर सेवा की हो, तथा
  - (क) जो पेंशन प्राप्त हो जाने के बाद उस सेवा से निवृत्त हुआ हो। इसमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं जो अपने अनुरोध पर कार्यमुक्त/सेवानिवृत्त हुए हों किंतु अपनी पेंशन लेने के बाद; या
  - (ख) जिसे सैनिक सेवा/अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण ऐसी सेवा से चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किया गया हो तथा जिसे चिकित्सा अथवा अन्य अक्षमता पेंशन दी गई हो; या
  - (ग) जिसे कर्मचारियों में कटौती के परिणामस्वरूप उस सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो; या
- (ii) जिसे सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के बाद, अपने अनुरोध अथवा दुराचरण अथवा अकुशलता के कारण सेवामुक्त या बर्खास्त न होकर किसी अन्य कारण से सेवामुक्त किया गया हो तथा जिसे सेवा उपदान दिया गया हो और इसमें प्रादेशिक सेना के कार्मिक शामिल हैं, नामतः निरंतर मूर्त्त सेवा अथवा अलग-अलग अवधियों में की गई अर्हक सेवा वाले पेंशनधारी ; अथवा
- (iii) सैन्य डाक सेवा के कार्मिक जो कि नियमित सेना के अंग हैं और जो अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तित हुए बिना सैन्य डाक सेवा से पेंशन सहित सेवा निवृत्त हुए हैं अथवा अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण अथवा सैन्य सेवा के कारण चिकित्सा आधार पर अक्षम होकर सैन्य डाक सेवा से कार्यमुक्त हुए हैं और उन्हें चिकित्सा अथवा निःशक्तता पेंशन मिली हुई है; अथवा
- (iv) ऐसे कार्मिक जो 14 अप्रैल, 1987 से पूर्व सैन्य डाक सेवा में 06 माह से अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्त पर थे; अथवा
- (v) प्रांतीय सेना के कार्मिक सहित सशस्त्र सेनाओं के वीरता पुरस्कार विजेता ; अथवा
- (vi) भर्ती हुए भूतपूर्व सैनिक जिन्हें चिकित्सा आधार पर निकाला गया है अथवा कार्यमुक्त किया गया है और जिन्हें चिकित्सा निःशक्तता पेंशन दी गई है।

**5 (छ)** भूपूसै के पुत्र-पुत्रियों और आश्रितों को आयु सीमा में छूट स्वीकार्य नहीं है ।

**5 (ज)** मैट्रिक उत्तीर्ण भूतपूर्व सैनिक (जिसमें वह भूतपूर्व सैनिक शामिल है, जिसने भारतीय सैन्य शिक्षा का विशेष प्रमाणपत्र या नौसेना या वायु सेना में तदनुसूची प्रमाणपत्र प्राप्त किया है ) जिसने 16.06.2017 को संघ की सशस्त्र



सेनाओं में **कम से कम 15 वर्ष की** सेवा की हो, को इस परीक्षा के माध्यम से विज्ञापित किए जा रहे **समूह 'ग' पदों पर** नियुक्ति के लिए पात्र समझा जाएगा। अतः ऐसे गैर स्नातक भूपूसै, जिन्होंने आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि (अर्थात् 16.06.2017) को 15 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की हो अथवा पैरा 5 (च) में विनिर्दिष्ट समय सीमा के अन्दर 15 वर्ष की सेवा पूरी नहीं करेंगे इस परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं।

**5 (झ)** 1994 की अपील संख्या 731-69 में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 24.02.1995 के निर्देश के अनुसार जनगणना से संबंधित छंटनी किए गए कर्मचारियों के लिए भारत के महापंजीयक के कार्यालय में केवल संकलनकर्ता के पद के लिए ही आयु में छूट निम्नलिखित रूप में उपलब्ध होगी :

- (i) छंटनी से पूर्व जनगणना के संबंध में उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा अवधि + 3वर्ष की आयु में छूट
- (ii) पूर्व सेवा का लाभ

### **5(ज) प्रमाणन की प्रक्रिया एवं प्रमाण पत्रों का प्रारूप:**

जो अभ्यर्थी आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किए जाने / अथवा आयु में छूट पाने के इच्छुक हैं, उन्हें निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त **अपेक्षित प्रमाणपत्र तब प्रस्तुत करना होगा, जब** इन प्रमाणपत्रों की संबंधित क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा **कौशल परीक्षा/दस्तावेज सत्यापन के समय** मांग की जाए। अन्यथा अजा/अजजा/अपिव /शादि/ भूपूसै स्थिति के उनके दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता/ आवेदन पत्रों को **सामान्य (अना)** श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा। प्रमाणपत्रों का प्रारूप हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त किए गए प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

**अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति की मांग कर रहे व्यक्ति को अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पास जाति/समुदाय का प्रमाण पत्र है तथा वह निर्णायक तिथि को क्रीमी लेयर में नहीं आता/आती है।** इस प्रयोजन के लिए निर्णायक तिथि, आवेदन पत्रों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्थात् 16.06.2017 होगी। अभ्यर्थी, उपरोक्त के संबंध में यह भी नोट करें कि उनकी अभ्यर्थिता तब तक अनंतिम रहेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबंधित दस्तावेज की यथातथ्यता की पुष्टि नहीं कर ली जाती। अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि यदि वे कपटपूर्वक अजा/ अजजा/ अपिव/भूपूसै/शा.दि.(शा.दि.) दर्जे का दावा करते हैं तो आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा से उन्हें वारित किया जा सकता है। परीक्षा परिसर के अन्दर अभ्यर्थियों के साथ किसी परिचर को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

**5 (ट): अतिरिक्त समय का प्रावधान तथा प्रलिपिक की सहायता: :** दृष्टि दिव्यांग / प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित अभ्यर्थियों को परीक्षा में अतिरिक्त समय दिया जाएगा, इसके अलावा, वे अस्थि दिव्यांग अभ्यर्थी (प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित अभ्यर्थियों के अलावा) जिन्हें गति विषयक दिव्यांगता (40 प्रतिशत अथवा अधिक) है, जिसमें मुख्य लेखन अग्रांग इस हद तक प्रभावित है कि इससे अभ्यर्थी के कार्य करने की गति में कमी आ जाती है। (ऐसी कमी का उल्लेख अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए डाक्टरी प्रमाण-पत्र में हो।) ऐसे अभ्यर्थी भी लिखित परीक्षा में प्रलिपिक की सहायता ले सकते हैं और प्रति घंटा 20 मिनट के अतिरिक्त समय का लाभ उठा सकते हैं, बशर्ते कि यह अनुरोध आवेदन पत्र में किया गया हो। जिसके ब्यौरे " परीक्षा की योजना" शीर्षक के अधीन पैरा 09 में दिए गए हैं। चालीस प्रतिशत से कम की दृष्टि दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति नहीं माना जाएगा। **एक आँख वाले** और आंशिक रूप से दृष्टिहीन **अभ्यर्थी** जो आवर्धक लैन्स(मैग्नीफाइंग ग्लास) से अथवा बिना आवर्धक लैन्स(मैग्नीफाइंग ग्लास) के सामान्य प्रश्नपत्र पढ़ने में सक्षम हैं और जो आवर्धक लैन्स(मैग्नीफाइंग ग्लास) की सहायता से उत्तर लिखना/दर्शाना चाहते हैं, उन्हें परीक्षा भवन में आवर्धक लैन्स(मैग्नीफाइंग ग्लास) का प्रयोग करने

की अनुमति दी जाएगी तथा वे किसी **प्रलिपिक की सेवाओं के हकदार नहीं होंगे** । ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा भवन में स्वयं अपना आवर्धक लैन्स (मैग्नीफाइंग ग्लास) लाना होगा।

6. 01 अगस्त, 2017 को अनिवार्य शैक्षिक योग्यता ।

i) **सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी/ सहायक लेखा अधिकारी**

क) अनिवार्य योग्यताएं : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातक डिग्री ।

ख) वांछनीय योग्यताएं : चार्टरित लेखाकार अथवा लागत एवं प्रबंधन लेखाकार अथवा कम्पनी सचिव अथवा वाणिज्य निष्णात अथवा व्यवसाय अध्ययन निष्णात अथवा व्यवसाय प्रशासन निष्णात(वित्त) अथवा व्यवसाय अर्थशास्त्र निष्णात ।

टिप्पणी: सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी/सहायक लेखा अधिकारी के रूप में स्थायीकरण और नियमित नियुक्ति के लिए, सीधी भर्ती किए गए अधिकारियों को परिवीक्षा अवधि के दौरान, अपनी-अपनी शाखाओं में "अधीनस्थ लेखा-परीक्षा सेवा परीक्षा" को उत्तीर्ण करना होगा।

ii) **कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी:** कक्षा 12 के स्तर पर गणित में कम से कम 60 प्रतिशत अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी विषय में स्नातक डिग्री ।

अथवा

किसी विषय में स्नातक डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर सांख्यिकी एक विषय के रूप में ली गई हो ।

iii) **अन्य सभी पद :**किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री अथवा समतुल्य ।

स्नातक डिग्री के अंतिम वर्ष की परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं, तथापि दिनांक 01 अगस्त, 2017 को अथवा उससे पूर्व उनके पास अनिवार्य योग्यता अवश्य होनी चाहिए।

6(क) : सहायक अनुभाग अधिकारी (के.स.से.), सहायक अनुभाग अधिकारी(विदेश मंत्रालय) और कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एस एफ आई ओ) में सहायक, खान मंत्रालय में सहायक (भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण) के पदों के लिए **अनिवार्य** योग्यता के रूप में कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षा भी निर्धारित की गई है ।

6(ख) : भारत के राजपत्र में प्रकाशित मानव संसाधन विकास मंत्रालय की दिनांक 10.06.2015 की अधिसूचना के अनुसार संसद अथवा राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालयवत् संस्थाओं और संसद के किसी अधिनियम के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं द्वारा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण पद्धति के माध्यम से प्रदान की गई तकनीकी शिक्षा डिग्री/डिप्लोमा सहित समस्त डिप्लोमा/डिग्रियां/प्रमाणपत्र केन्द्र सरकार के अंतर्गत पदों और सेवाओं में नियोजन के प्रयोजन से स्वतः ही मान्यता प्राप्त हैं बशर्ते, उनको दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमोदन हो।

6(ग) : डाटा एंट्री कौशल परीक्षा/कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा में उपस्थित होने के लिए आयोग द्वारा अर्हता-प्राप्त घोषित सभी अभ्यर्थियों को 01 अगस्त, 2017 को अथवा उससे पूर्व यथा-निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त कर लेने के प्रमाण के रूप में सभी संबद्ध मूल प्रमाण-पत्र जैसे स्नातक के सभी तीन वर्षों की अंक तालिकाएं/अंतिम प्रमाण पत्र /स्नातक के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे । ऐसा न करने पर आयोग द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी । वह अभ्यर्थी जो दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा यह प्रमाणित कर पाते हैं कि अर्हक परीक्षा का परिणाम कट-ऑफ तिथि को अथवा उससे पूर्व घोषित किया गया था तथा उसे उत्तीर्ण घोषित किया गया है, तो शैक्षिक योग्यता को पूरा करने की दृष्टि से उसके नाम पर भी विचार किया जाएगा ।

#### 7. आवेदन शुल्क और भुगतान का तरीका : 100/-रूपए (मात्र एक सौ रूपए )

अभ्यर्थी नोट करें कि [www.ssc online.nic.in](http://www.ssc online.nic.in) पर केवल ऑनलाइन आवेदनों को ही स्वीकार किया जाएगा ।

सभी महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शारीरिक रूप से दिव्यांग और आरक्षण के लिए पात्र भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित अभ्यर्थियों को वर्तमान सरकारी आदेशों के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करने से छूट है ।

7 (i): वह अभ्यर्थी जिन्हें परीक्षा शुल्क का भुगतान करने से छूट नहीं दी गई है, वह अपेक्षित शुल्क का भुगतान केवल भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से या तो ऑनलाइन तैयार किए गए चालान के रूप में अथवा भा.स्टे.बैं. नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं । शुल्क का भुगतान किसी भी क्रेडिट कार्ड अथवा डेबिट कार्ड के माध्यम से भी किया जा सकता है।

7 (ii) : एक बार भुगतान किया गया शुल्क किन्हीं भी परिस्थितियों में वापस नहीं किया जाएगा ।

#### 8. परीक्षा केन्द्र

अभ्यर्थी को आवेदन-पत्र में वह केन्द्र दर्शाना होगा जिसमें वह स्तर-। परीक्षा देने का इच्छुक है ।

क्र.स.	परीक्षा केंद्र और केंद्र कोड	वह पता जहां आवेदन भेजने हैं।
1.	आगरा(3001), इलाहाबाद (3003), बरेली(3005), गोरखपुर(3007), कानपुर(3009), लखनऊ(3010), मेरठ(3011), वाराणसी(3013), भागलपुर(3201), मुजफ्फरपुर (3205), पटना(3206),	क्षेत्रीय निदेशक(म.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, 21-23 लाउदर रोड, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश-211002
2.	गंगटोक(4001), रांची(4205), बारासात, (4402), बरहामपुर, (प.ब) (4403), चिनसुरा,(4405), जलपाईगुड़ी (4408), कोलकाता(4410), मालदा (4412), मिदनापुर(4413), सिलीगुड़ी, (4415), बरहामपुर(ओडिसा ) (4602) भुवनेश्वर(4604), कटक(4605), क्यौंझारगढ़, (4606), संबलपुर(4609), पोर्ट ब्लेयर (4802),	क्षेत्रीय निदेशक(पू.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम एमएसओ भवन, ( आठवां तल), 234/4, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700020
3.	बंगलोर(9001), धारवाड़(9004), गुलबर्गा(9005), मंगलोर(9008), मैसूर (9009), कोची(9204), कोझीकोड (कालीकट) (9206) तिरुवनन्तपुरम(9211), त्रिसूर(9212),	क्षेत्रीय निदेशक(के.क.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, पहली मंजिल, "ई" विंग, केंद्रीय सदन, कोरमंगला, बंगलोर, कर्नाटक-560034

4.	अलमोड़ा(2001), देहरादून(2002), हलद्वानी(2003), श्रीनगर(उत्तराखण्ड) (2004), हरिद्वार (2005), दिल्ली(2201), अजमेर(2401), अलवर (2402), भरतपुर(2403), बीकानेर(2404), जयपुर(2405), जोधपुर(2406), कोटा(2407) श्रीगंगानगर(2408), उदयपुर(2409),	क्षेत्रीय निदेशक(उ.क्ष.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लाक सं.12,सी.जी.ओ. काम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110504
5.	ईटानगर(5001),डिब्रूगढ़(5102), गुवाहाटी(दिसपुर)(5105), जोरहाट(5107),सिलचर(5111), कोहिमा(5302), शिलांग(5401), इम्फाल(5501), चूँडाचाँदपुर (5502), अगरतला(5601) आइजोल(5701),	क्षेत्रीय निदेशक(पूर्व.क्ष.), कर्मचारी चयन आयोग, हाऊसफीड कम्प्लेक्स, वेस्ट एण्ड ब्लॉक, लास्ट गेट,बेल्लोला बशिष्ठ रोड, दिसपुर, गुवाहाटी, असम-781006
6.	गुंटूर(8001), कर्नूल(8003), राजमुंदरी(8004),तिरुपति(8006), विशाखापट्टनम(8007), विजयवाड़ा (8008), चेन्नई(8201), कोयम्बटूर(8202), मदुरै(8204), तिरुचिरापल्ली(8206), तिरुनेलवेली(8207), पुडुचेरी(8401), हैदराबाद (8601), निजामाबाद(8602), वारंगल(8603)	क्षेत्रीय निदेशक(द.क्ष.), कर्मचारी चयन आयोग, ई.वी.के. संपत बिल्डिंग, दूसरा तल, कॉलेज रोड, चेन्नई, तमिलनाडु-600 006
7.	अहमदाबाद(7001), वदोदरा (7002), राजकोट (7006), सूरत(7007), भावनगर (7009), कच्छ (7010), अमरावती (7201), औरंगाबाद (7202), कोल्हापुर(7203), मुम्बई(7204), नागपुर(7205), नांदेड़ (7206), नासिक (7207), पुणे (7208), ठाणे (7210), भण्डारा (7211), चन्द्रपुर (7212), अकोला (7213), जलगांव (7214), अहमदनगर (7215), अलीबाँग (7216), पणजी(7801),	क्षेत्रीय निदेशक(प.क्ष.), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल,दक्षिण विंग,प्रतिष्ठा भवन, 101,एम.के.रोड, मुम्बई, महाराष्ट्र-400020
8.	भोपाल(6001), छिंदवाड़ा(6003), गुना(6004), ग्वालियर(6005) इंदौर(6006),जबलपुर(6007), खण्डवा(6009), रतलाम(6011),सतना (6014), सागर (6015), अम्बिकापुर(6201), बिलासपुर(6202),जगदलपुर (6203), रायपुर(6204),), दुर्ग (6205),	उप-निदेशक(म.प्र.क्ष.), कर्मचारी चयन आयोग, जे-5, अनुपम नगर, रायपुर छत्तीसगढ़-492001
9.	अनन्तनाग (1001), बारामूला(1002), जम्मू(1004), लेह(1005), राजौरी(1006), श्रीनगर(ज.एवं क.)(1007), कारगिल(1008), डोडा(1009), हमीरपुर(1202), शिमला(1203), भटिण्डा(1401), जालंधर(1402), पटियाला(1403), अमृतसर (1404 ), चण्डीगढ़(1601)	उप-निदेशक(पश्चिमो.क्ष.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लाक सं.-3,भूतल, केंद्रीय सदन, सैक्टर-9, चण्डीगढ़-160017

**8 (i) :** आम तौर पर केन्द्र में किसी परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी । इसलिए, अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्रों का चुनाव सावधानीपूर्वक करना चाहिए तथा अपने आवेदन पत्र में उसे सही-सही दर्शाना चाहिए ।

**8 (ii) :** आयोग के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह किसी भी केंद्र को रद्द कर दे और उस केंद्र के अभ्यर्थियों को किसी अन्य केंद्र से परीक्षा में बैठने के लिए कहे । आयोग को यह भी अधिकार है कि वह परीक्षा देने के लिए किसी भी केंद्र के अभ्यर्थियों को क्षेत्र के भीतर अथवा बाहर किसी अन्य केन्द्र पर स्थानांतरित कर दे ।

### **9. संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए परीक्षा की रूपरेखा**

परीक्षा चार स्तरों में आयोजित की जाएगी जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :-

- |           |   |   |
|-----------|---|---|
| स्तर-I    | - | कम्प्यूटर आधारित परीक्षा  |
| स्तर-II   | - | कम्प्यूटर आधारित परीक्षा  |
| स्तर -III | - | लिखित परीक्षा (वर्णनात्मक प्रश्नपत्र)                                       |
| स्तर -IV  | - | कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा/कौशल परीक्षा (जहां कहीं लागू हो)/दस्तावेज सत्यापन |

9.1 आयोग के पास यह अधिकार है कि वह परीक्षा की रूपरेखा में परिवर्तन कर सकता है जैसे कि टियर-I और टियर-II परीक्षा का कम्प्यूटर आधारित पद्धति में आयोजन करना, टियर-I परीक्षा को केवल अर्हक मानना, इत्यादि ।

9.2 साक्षात्कार को समाप्त कर दिया गया है । इसलिए साक्षात्कार का आयोजन नहीं किया जाएगा ।

### परीक्षा की रूपरेखा:

टियर	परीक्षा का माध्यम	परीक्षा की रूपरेखा	अंक	समय
I	कम्प्यूटर आधारित परीक्षा मोड	क. सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति <b>25 प्रश्न</b> ख. सामान्य जानकारी <b>25 प्रश्न</b> ग. परिमाणात्मक अभिरूचि <b>25 प्रश्न</b> घ. अंग्रेजी परिज्ञान <b>25 प्रश्न</b>	50 अंक  50 अंक  50 अंक  50 अंक  कुल 200 अंक*	60 मिनट (कुल)  दृष्टि दिव्यांग तथा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए 80 मिनट
II	कम्प्यूटर आधारित परीक्षा मोड	I. परिमाणात्मक क्षमता (100 प्रश्न) II. अंग्रेजी भाषा तथा परिज्ञान (200 प्रश्न) III. सांख्यिकीय (100 प्रश्न) प्रश्न पत्र-I तथा II यथोक्त IV. सामान्य अध्ययन (वित्त तथा अर्थशास्त्र) (100 प्रश्न) प्रश्न पत्र-I तथा II यथोक्त	200 अंक 200 अंक  200 अंक  200 अंक	120 मिनट (कुल)  दृष्टि दिव्यांग तथा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए 160 मिनट

टियर -I में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.50 नकारात्मक अंक दिए जाएंगे । टियर -II में, प्रश्नपत्र -II (अंग्रेजी भाषा तथा परिज्ञान ) में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 नकारात्मक अंक दिए जाएंगे तथा टियर- II के प्रश्नपत्र-I, प्रश्नपत्र-III तथा प्रश्नपत्र IV में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.50 नकारात्मक अंक दिए जायेंगे ।

उपरोक्त के अतिरिक्त आयोग ने अंग्रेजी/हिन्दी के वर्णनात्मक प्रश्नपत्र को टियर-III के रूप में प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। इसका विवरण निम्नानुसार है:-

टियर	परीक्षा का माध्यम	परीक्षा की रूपरेखा	अंक	समय
III	लिखित मोड	अंग्रेजी/हिन्दी (निबंध/सार/पत्र/आवेदन पत्र आदि लिखना) में वर्णनात्मक प्रश्नपत्र	कुल अंक 100	60 मिनट दृष्टि दिव्यांग तथा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए 80 मिनट

योग्यता क्रम टियर-I, टियर-II तथा टियर-III में समग्र निष्पादन के आधार पर तैयार किया जाएगा। तथापि, अभ्यर्थियों को सभी टियरों अर्थात् टियर-I, टियर-II तथा टियर-III में अलग-अलग से अर्हता प्राप्त करनी आवश्यक है। इसमें कोई वर्गीय कट-ऑफ नहीं होगी।

परीक्षा की विज्ञप्ति के प्रावधानों के अनुसार कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षा/कौशल परीक्षा (जहां लागू हो)/दस्तावेज सत्यापन आयोजित की जाएगी।

## निश्चयार्थ पाठ्यक्रम

### परीक्षा का टियर-I

**(क) सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति :** इसमें शाब्दिक और गैर-शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे। इस घटक में सादृश्यों, समानताओं तथा अंतरों, स्थानिक कल्पना, स्थानिक अभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, निर्णय, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क एवं आकृति संबंधी वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या शृंखला, गैर-शाब्दिक शृंखला, कोडिंग एवं डिकोडिंग, विवरण निष्कर्ष, न्यायबद्ध तर्क आदि से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे। इसमें विषय हैं : सीमेंटिक समानता, प्रतीकात्मक/अंक संबंधी समानता, आंकड़े संबंधी समानता, सीमेंटिक वर्गीकरण, प्रतीकात्मक/अंक संबंधी वर्गीकरण, आंकड़े संबंधी वर्गीकरण, सीमेंटिक क्रम, अंक क्रम, आंकड़े संबंधी क्रम, समस्या समाधान, शब्द निर्माण, कोडिंग व डिकोडिंग, संख्यात्मक संक्रिया, प्रतीकात्मक संक्रिया, उपनति, अन्तराल अभिविन्यास, अन्तराल विज्युलाइजेशन, वेन डाइग्राम, रेखाचित्र अनुमिति, पंच होल/ पैटर्न-फोल्डिंग व अनफोल्डिंग आकृति पैटर्न-फोल्डिंग एवं कंप्लिशन, सूचीकरण, पता मिलान, तिथि व शहर मिलान, केन्द्र कोड/ अनुक्रमांक का वर्गीकरण, छोटे व बड़े अक्षर/ अंक कोडिंग/डिकोडिंग व वर्गीकरण, अंतः स्थापित आंकड़े, आलोचनात्मक विवेचन, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सामाजिक बुद्धिमत्ता तथा अन्य उप-विषय, यदि कोई हो तो।

**(ख) सामान्य जानकारी :** इस घटक के प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के परिवेश की सामान्य जानकारी और समाज में उनके अनुप्रयोग की जांच करना होगा। सामयिक घटनाओं और दिन प्रतिदिन के अवलोकन के ऐसे मामलों के ज्ञान एवं उनके वैज्ञानिक पहलू संबंधी अनुभव की जांच करने हेतु भी प्रश्नपत्र पूछे जाएंगे, जिसकी जानकारी की अपेक्षा किसी शिक्षित व्यक्ति से की जा सकती है। इस परीक्षण में भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेषकर इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य नीति, वैज्ञानिक अनुसंधान इत्यादि से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे।

**(ग) परिमाणात्मक अभिरूचि :** इन प्रश्नों को अभ्यर्थी द्वारा संख्याओं के उपयुक्त प्रयोग और संख्या के बोध की क्षमता की जांच के लिए तैयार किया जाएगा। इन प्रश्नों के दायरे में पूर्णांक संख्याएं अभिकलन, दशमलव, खण्ड और संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, प्रतिशतता, भागफल और अनुपात, वर्गमूल, औसत, ब्याज, लाभ एवं हानि, बट्टा, साझेदारी व्यापार, मिश्रण एवं संहसंबंधन, समय और दूरी, समय और कार्य, स्कूली बीजगणित एवं प्रारंभिक करणी के बीजगणितीय ज्ञान, रेखीये समीकरणों के ग्राफ, त्रिकोण और उनके विभिन्न प्रकार के केन्द्र, त्रिकोणों की समरूपता और समानता, वृत्त और उसकी जीवा, स्पर्श रेखाएं, वृत्त की जीवाओं द्वारा अंतरित कोण, दो या अधिक वृत्तों की समान स्पर्श रेखाएं, त्रिकोण, चतुर्भुज, समभुज कोणीय बहुभुज, वृत्त, समप्रिज्म, सम गोलाकार शंकु, सम गोलाकार बेलन, गोला, गोलार्ध, आयताकार समान्तरषटफलक, त्रिकोणीय अथवा वर्गाकार आधार वाला समभुज कोणीय सम पैरामिड, त्रिकोणमितीय अनुपात, डिग्री और रेडियन माप, मानक सहस्रप्यता, अनुपूरक कोण, ऊंचाई और दूरी, हिस्टोग्राम, आवृत्ति बहुभुज, बार आरेख और पाई-चार्ट आएंगे।

**(घ) अंग्रेजी परिज्ञान:** इसमें अभ्यर्थियों की अंग्रेजी भाषा की समझ, उसके सही प्रयोग, उसके लेखन की योग्यता और परिज्ञान को जाँचा जाएगा।

क, ख, और घ भागों में प्रश्नों का स्तर पद के लिए निर्धारित अनिवार्य योग्यता अर्थात् स्नातक की डिग्री के अनुरूप होगा तथा भाग ग में प्रश्न 10वीं कक्षा स्तर के होंगे।

**टिप्पणी 1:** आयोग को अन्य बातों के साथ-साथ अभ्यर्थियों की श्रेणीवार रिक्तियों और श्रेणीवार संख्या को ध्यान में रखते हुए टियर-1 परीक्षा के प्रत्येक घटक में अर्हता के अलग-अलग अर्हता न्यूनतम मानदंड निर्धारित करने का विवेकाधिकार होगा। टियर -1 परीक्षा में शामिल होने के लिए केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा जिन्होंने आयोग द्वारा निर्धारित कट-ऑफ अंकों से अधिक अंक प्राप्त किए होंगे।

**टिप्पणी 2:** विभिन्न प्रश्नपत्रों, जो कि पदों के अलग-अलग समूहों के लिए विशिष्ट रूप से अपेक्षित है, के लिए टियर -1 परीक्षा में बैठने हेतु अभ्यर्थियों की संवीक्षा करने के लिए टियर -1 परीक्षा का प्रयोग किया जाएगा। टियर -1 परीक्षा में ऐसे छांटे गए अभ्यर्थियों के अंकों को कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षा/डाटा एंट्री कौशल परीक्षा और अंतिम चयन के लिए भी, चुने जाते समय फाइनल रैंकिंग तैयार करने के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

### **लिखित परीक्षा (टियर-II) की रूपरेखा:**

**9 (ख)(i) :** प्रश्नपत्र I व II पदों की सभी श्रेणियों के लिए अनिवार्य हैं।

**9(ख)(ii) :** प्रश्नपत्र III केवल उन अभ्यर्थियों के लिए है जो कनिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी (क.सां.अ.) के पद के लिए आवेदन करते हैं।

**9(ख)(iii) :** प्रश्नपत्र IV केवल उन अभ्यर्थियों के लिए है, जो सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी (स.ले.अ.) के पद के लिए आवेदन करते हैं।

**9 (ख) (IV) :** कनिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी(क.सा.अ.) और सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी का पद चुनने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके पास परीक्षा की विज्ञप्ति में यथा उल्लिखित अपेक्षित योग्यता है। कनिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी (क.सा.अ.) और सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पद का चयन करने वाले अभ्यर्थी के पास अपेक्षित पात्रता न होने की अवस्था में अभ्यर्थियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करने के लिए आयोग के पास अधिकार सुरक्षित है। ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता जिनके पास विशेष पद (पदों) के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता नहीं है, के नाम पर ऐसे पद (पदों) के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

### **9 (ग): परीक्षा के टियर-II के लिए निश्चयार्थ पाठ्यक्रम:**

**प्रश्नपत्र I परिमाणात्मक क्षमता :** इन प्रश्नों को अभ्यर्थी द्वारा संख्याओं के उपयुक्त प्रयोग और संख्या के बोध की क्षमता की जांच के लिए तैयार किया जाएगा। इन प्रश्नों के दायरे में पूर्णांक संख्याएं अभिकलन, दशमलव, खण्ड और संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, प्रतिशतता, भागफल और अनुपात, वर्गमूल, औसत, ब्याज, लाभ एवं हानि, बट्टा, साझेदारी व्यापार, मिश्रण एवं संहसंबंधन, समय और दूरी, समय और कार्य, स्कूली बीजगणित एवं प्रारंभिक करणी के बीजगणितीय ज्ञान, रेखीये समीकरणों के ग्राफ, त्रिकोण और उनके विभिन्न प्रकार के केन्द्र, त्रिकोणों की समरूपता और समानता, वृत्त और उसकी जीवा, स्पर्श रेखाएं, वृत्त की जीवाओं द्वारा अंतरित कोण, दो या अधिक वृत्तों की समान स्पर्श रेखाएं, त्रिकोण, चतुर्भुज, समभुज कोणीय

बहुभुज , वृत्त, समप्रिज्म, सम गोलाकार शंकु, सम गोलाकार बेलन, गोला, गोलार्ध, आयताकार समान्तरषटफलक, त्रिकोणीय अथवा वर्गाकार आधार वाला समभुज कोणीय सम पैरामिड, त्रिकोणमितीय अनुपात, डिग्री और रेडियन माप, मानक सहरूप्यता, अनुपूरक कोण, ऊचाई और दूरी, हिस्टोग्राम, आवृत्ति बहुभुज, बार आरेख और पाई-चार्ट आएंगे ।

**प्रश्नपत्र II अंग्रेजी भाषा एवं परिज्ञान:** इस घटक में अभ्यर्थी के अंग्रेजी भाषा की समझ और जानकारी की जाँच के लिए प्रश्न तैयार किए जाएंगे जो कि गलती की पहचान, रिक्त स्थानों की पूर्ति, समानार्थक, विलोमार्थक, वर्तनी/अशुद्ध शब्दों की पहचान, मुहावरे और वाक्यांश, एक वाक्यांश, वाक्यों का सुधार, क्रियाओं की कृतवाच्य/कर्मवाच्य, प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष वर्णन का परिवर्तन, परिच्छेद में वाक्य के भागों का परिवर्तन, निकट परिच्छेद और परिज्ञान परिच्छेद में वाक्यों का परिवर्तन आदि से संबंधित होंगे ।

**प्रश्नपत्र - III कनिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी (क.सा.अ.)** सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के लिए सांख्यिकी

**सांख्यिकी डाटा का संकलन, वर्गीकरण और प्रस्तुतीकरण-** प्राथमिक और सैंकडरी डाटा, डाटा संकलन की पद्धतियां, डाटा को सारणीबद्ध करना, ग्राफ और चार्ट, आवृत्ति संवितरण, आवृत्ति संवितरणों की आरेखीय प्रस्तुति ।

**केन्द्रीय प्रवृत्ति की माप -** केन्द्रीय प्रवृत्ति की सार्व माप - माध्य, माध्यिक, बहुलक; विभाजन मूल्य-चतुर्थक, दशमक, सैंकड़ा

**परिक्षेपण का माप -** परिक्षेपण का सार्व माप - दूरी, चतुर्थक अपसरण, माध्य अपसरण तथा मानक अपसरण ; साक्षेप परिक्षेपण के माप

**घूर्ण, स्क्यूनेस व करटोसिस -** विभिन्न प्रकार के घूर्ण व उनके संबंध; स्क्यूनेस व करटोसिस का अर्थ ; स्क्यूनेस व करटोसिस के विभिन्न माप

**सहसम्बद्ध एवं प्रतिक्रमण -** आरेख छितराव, सामान्य सहसम्बद्ध गुणांक, सामान्य प्रतिक्रमण रेखाएं ; स्पीयरमैन का श्रेणी सहसम्बद्ध, आरोपण के संगुणन का माप ; बहुविध प्रतिक्रमण ; बहुविध व आंशिक सहसम्बद्ध ( केवल तीन परिवर्ती हेतु) ।

**संभाव्यता सिद्धान्त -** संभाव्यता का अर्थ ; संभाव्यता की विभिन्न परिभाषाएं ; प्रतिबंधित संभाव्यता ; संयुक्त संभाव्यता ; स्वतंत्र विषय ; बेयस का प्रमेय ।

**यादृच्छिक चर एवं संभाव्यता विभाजन -** यादृच्छिक चर; संभाव्यता फलन, यादृच्छिक चर की प्रत्याशा व प्रसरण; यादृच्छिक चर का उच्चतर घूर्ण; द्विपद , पोयजन, प्रमाणक और घातांकी विभाजन ; दो यादृच्छिक चरों का संयुक्त विभाजन (पृथक)

**प्रतिदर्श सिद्धान्त -** जनसंख्या एवं प्रतिदर्श की अवधारणा ; प्राचल एवं सांख्यिकी, प्रतिदर्श एवं गैर प्रतिदर्श त्रुटियां ; संभाव्यता एवं गैर संभाव्यता प्रतिदर्श तकनीक (सामान्य यादृच्छिक प्रतिचयन , स्ट्रेटिफाइड प्रतिदर्श, बहुचरण प्रतिदर्श, बहुपक्ष प्रतिदर्श, समूह प्रतिदर्श, क्रमबद्ध प्रतिचयन, सप्रयोजक प्रतिदर्श, सुविधा प्रतिदर्श, यथांश प्रतिदर्श) ; प्रतिदर्श विभाजन (केवल विवरण) ; प्रतिदर्श आकार निर्णय ।



**सांख्यिकीय अनुमान** - बिंदू आकलन व मध्यान्तर आकलन, अच्छे आकलक के गुणधर्म, आकलन की पद्धति (घूर्ण पद्धति, अधिकतम संभाविता पद्धति, लघुतम वर्ग पद्धति), परिकल्पना का परीक्षण, परीक्षण की मूल अवधारणा, लघु प्रतिदर्श और विस्तृत प्रतिदर्श परीक्षण, Z, t, Chi-square तथा F सांख्यिकी पर आधारित परीक्षण, निश्चयी अनुमान ।

**प्रसरण विश्लेषण** - एक तरफा वर्गीकृत आँकड़े व दो तरफा वर्गीकृत आँकड़े का विश्लेषण ।

**समय श्रृंखला विश्लेषण** - समय श्रृंखला के घटक, विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से प्रवणता घटक का निर्धारण, विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से आवर्तक अपक्रम का माप ।

**सूचकांक** - सूचकांक का अर्थ, सूचकांक के निर्माण में समस्या, सूचकांक के प्रकार, विभिन्न सूत्र, सूचकांक का मूल विचलन व जोड़, निर्वाह-व्यय सूचकांक, सूचकांक के प्रयोग ।

**प्रश्नपत्र-IV सामान्य अध्ययन (वित्त एवं अर्थशास्त्र)** नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अधीन भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के पद के लिए ।

**भाग-क: वित्त एवं लेखा(80 अंक)**

**1. लेखाशास्त्र के आधारभूत सिद्धांत और मूल अवधारणा**

वित्तीय लेखाशास्त्र : प्रकृति तथा कार्यक्षेत्र, वित्तीय लेखाशास्त्र की परिसीमाएं, मूल अवधारणाएं एवं परम्पराएं, सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांत ।

लेखाशास्त्र की मूल अवधारणाएं, एकल एवं दोहरा लेखा, मूल लेखा की बहियां, बैंक समाधान, रोजनामचा, खाता बही कच्चा चिट्ठा, त्रुटियों का परिशोधन, विनिर्माण, व्यापार करना, लाभ एवं हानि, विनियोजन लेखा, तुलनपत्र, पूँजीगत व्यय और राजस्व खर्च में भिन्नता, मूल्यहास लेखाकरण, सम्पत्ति सूची का मूल्यांकन, लाभ निरपेक्ष संगठन लेखा, प्राप्तियां एवं भुगतान तथा आय एवं व्यय लेखा, विनिमय पत्र, स्वतः संतुलन लेखा बहियां ।

**भाग-ख: अर्थशास्त्र और अभिशासन-(120 अंक)**

**2. भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक-सांविधानिक प्रावधान, भूमिका और उत्तरदायित्व ।**

**3. वित्त आयोग- भूमिका एवं कार्य**

**4. अर्थशास्त्र की मूल अवधारणाएं तथा सूक्ष्म अर्थशास्त्र के बारे में परिचय**

परिभाषा, अर्थशास्त्र का कार्यक्षेत्र तथा प्रकृति, अर्थशास्त्र अध्ययन की पद्धतियां तथा अर्थव्यवस्था और उत्पादन सम्भावना वक्र की केन्द्रीय समस्याएं

**5. मांग और पूर्ति का सिद्धांत**

मांग का अर्थ और निर्धारक तत्व, मांग का सिद्धांत और मांग की लोच, मूल्य, आय एवं तिर्यक लोच; उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत- मार्शलियन प्रस्ताव तथा अनधिमान वक्र प्रस्ताव, पूर्ति का अर्थ और निर्धारक तत्व, पूर्ति का सिद्धांत और पूर्ति की लोच ।

**6. उत्पादन और लागत का सिद्धांत**

उत्पादन का अर्थ और कारक; उत्पादन के सिद्धांत- परिवर्तनीय समानुपातों के सिद्धांत एवं अनुमाप प्रतिवर्तन के सिद्धांत ।

## 7. बाजार के प्रकार और विभिन्न बाजारों में मूल्य निर्धारण

बाजारों के विभिन्न प्रकार- आदर्श प्रतिस्पर्द्धा, एकाधिकार, एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्द्धा और अल्पाधिकार तथा इन बाजारों में मूल्य निर्धारण ।

## 8. भारतीय अर्थव्यवस्था

भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति, विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका- कृषि, उद्योग और सेवाओं की भूमिका- उनकी समस्याएं और विकास ।

भारत की राष्ट्रीय आय- राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं, राष्ट्रीय आय का मापन करने की विभिन्न पद्धतियां ।

जनसंख्या- इसका आकार, वृद्धि की दर और आर्थिक विकास पर इसका प्रभाव ।

गरीबी तथा बेरोजगारी-निरपेक्ष एवं सापेक्ष गरीबी, प्रकार, बेरोजगारी के कारण और प्रभाव

आधारिक संरचना- ऊर्जा, परिवहन, संचार

## 9. भारत में आर्थिक सुधार

1991 से आर्थिक सुधार, उदारीकरण, निजीकरण, सार्वभौमीकरण और विनिवेश

## 10. धन तथा बैंकिंग

मौद्रिक/राजकोषीय नीति, भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका तथा कार्य, व्यापारिक बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/भुगतान बैंकों के कार्य ।

बजट तथा राजकोषीय घाटा और भुगतानों का संतुलन

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम,2003

## 11. अभिशासन में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका

**टिप्पणी-I:** प्रश्नपत्र-I में प्रश्न 10वीं कक्षा स्तर के, प्रश्नपत्र-II के 10+2 स्तर के और प्रश्नपत्र-III के स्नातक स्तर के होंगे ।

**टिप्पणी-II :** आयोग को प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों(अर्थात् अजा/अजजा/अपिव/शा.वि./भूपूसै./ सामान्य (अना.) के लिए टियर-II के प्रत्येक प्रश्नपत्र में तथा कुल मिलाकर सभी प्रश्न-पत्रों में अलग-अलग न्यूनतम अर्हक अंक निर्धारित करने का पूर्ण विवेकाधिकार होगा । केवल वे ही अभ्यर्थी टियर -III (वर्णनात्मक परीक्षा) डाटा एंट्री कौशल परीक्षा/कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा/दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए जाने हेतु विचार किए जाने के पात्र होंगे जो सभी प्रश्न-पत्रों में तथा कुल मिलाकर अर्हता प्राप्त करते हैं ।

**टिप्पणी-III :** इस परीक्षा की उत्तर कुंजी (KEY) के संबंध में किसी अभ्यावेदन के बारे में जहां आवश्यक हो, विशेषज्ञों की सहायता से परीक्षण किया जायेगा और ऐसी अवस्था में उस मामले में मूल्यांकन संशोधित उत्तर-कुंजी(ANSWER KEY) से किया जाएगा । इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा और आगे किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा ।

**9.(घ) कौशल परीक्षा :** कर सहायकों(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं आयकर) के पद के लिए :

कम्प्यूटर पर प्रति घण्टा 8,000(आठ हजार) की-डिप्रेशन की डाटा एन्ट्री गति परीक्षा(डीईएसटी)

15(पन्द्रह) मिनटों की अवधि की 2000(दो हजार) की-डिप्रेशन "डाटा एन्ट्री गति" कौशल परीक्षा अर्हक प्रकृति की होगी । इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित परीक्षा केन्द्र/स्थान पर आयोग द्वारा कम्प्यूटर प्रदान किया जाएगा । अभ्यर्थियों को स्वयं का की-बोर्ड लाने की अनुमति नहीं होगी ।

इस प्रयोजनार्थ कौशल परीक्षा का आयोजन आयोग द्वारा निर्धारित रीति से किया जाएगा ।

कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए केवल वे ही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने लिखित परीक्षा में आयोग द्वारा अपने विवेक से निर्धारित किए गए न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त किए हैं। कौशल परीक्षा का आयोजन आयोग द्वारा यथा निर्णीत आयोग के क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालयों अथवा अन्य केन्द्रों में किया जायेगा ।

के.प्र.क.बो में कर सहायक पद का विकल्प देने वाले अस्थि दिव्यांग अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा में भाग लेने से छूट दी गई है । तथापि, के.उ.शु सी. शु.बो. में कर सहायक पद का विकल्प देने वाले अ.वि. अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा से छूट नहीं है । श्र.दि. और दृ.दि. अभ्यर्थी कौशल परीक्षा से छूट के लिए पात्र नहीं हैं ।

अर्हक घोषित पात्र अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा में उपस्थित होने के लिए आयोग के क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कौशल परीक्षा संबंधी विस्तृत अनुदेश भेजे जाएंगे ।

दृ.दि.अभ्यर्थियों को टंकण परीक्षा के समान डीईएसटी में उपयुक्त प्रतिपूरक समय दिया जायेगा। केवल उन्ही दृ.दि. अभ्यर्थियों को जिन्होंने लिखित परीक्षा में प्रलिपिक का विकल्प दिया है, को ही कौशल परीक्षा के समय पद्यांश वाचक दिये जायेंगे ।

कौशल परीक्षा अर्हक प्रकृति की होगी ।

**9(ड.).** आयोग द्वारा के.स.से. के सहायक अनुभाग अधिकारी, सहायक अनुभाग अधिकारी (विदेश मंत्रालय) तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (ग.क.अ.का) में सहायक, खान मंत्रालय में सहायक (भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण) के पदों के आवेदकों के लिए तीन मोड्यूल अर्थात्- वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेड शीट और स्लाइडें तैयार करने सहित कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षा (सीपीटी) का आयोजन किया जाएगा । कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षा का आयोजन इस उद्देश्य के लिए आयोग द्वारा यथा निर्धारित रूप में किया जाएगा । कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षा अर्हक प्रकृति की होगी ।

के.स.से. में सहायक अनुभाग अधिकारी, सहायक अनुभाग अधिकारी (विदेश मंत्रालय) तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (ग.क.अ.का) में सहायक, खान मंत्रालय में सहायक (भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण) के पद संबंधी का. एवं प्र.वि. की रूपरेखा में शारीरिक दिव्यांग अभ्यर्थियों की किसी भी श्रेणी के लिए कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षा से छूट परिकल्पित नहीं है ।

अर्हक घोषित पात्र अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षा में बैठने के लिए कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षा संबंधी विस्तृत अनुदेश आयोग के क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा भेजे जाएंगे ।

डीईएसटी (डाटा एन्ट्री कौशल परीक्षा) और सीपीटी(कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा) संबंधी विस्तृत अनुदेश आयोग की वेबसाइट [www.ssc.nic.in](http://www.ssc.nic.in) पर उपलब्ध हैं /उपलब्ध होंगे ।

#### 10. दस्तावेज सत्यापन :

सभी अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वह अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराएं। जो अभ्यर्थी ऐसा नहीं करेगा अन्तिम चयन हेतु उस पर विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थियों से यह भी अपेक्षा है कि वह दस्तावेज सत्यापन के समय अपने सभी दस्तावेज सत्यापन हेतु मूल रूप में जमा करें। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में विज्ञप्ति के पैरा-2 में दिए गए पदों (अर्थात् ए.बी.सी.डी.) के समूह के लिए विकल्प देना अपेक्षित है। पदों के लिए विस्तृत विकल्प दस्तावेज सत्यापन के समय लिया जाएगा।

#### 11(क) निरीक्षक(केंद्रीय उत्पाद शुल्क/परीक्षक/निवारक अधिकारी/सीबीएन में निरीक्षक और उप-निरीक्षक) के पद हेतु शारीरिक मापदण्ड

##### पुरुष अभ्यर्थी

##### (i) शारीरिक मापदंड

लंबाई: 157.5 सें.मी. सीना: 81 से.मी. (पूरी तरह फुलाने पर न्यूनतम 5 सें.मी. के फुलाव सहित)	गढ़वालियों, असमियों, गोरखों और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के मामले में लंबाई में 5 सें.मी. तक की छूट ।
--	--

##### (ii) शारीरिक परीक्षा

पैदल चलना	:	15 मिनट में 1600 मीटर
साइकिल चलाना	:	30 मिनट में 8 कि.मी.

##### महिला अभ्यर्थी

##### (i) शारीरिक मापदंड(न्यूनतम)

लंबाई: 152 सें.मी. भार : 48 कि.ग्रा.	गोरखों, गढ़वालियों, असमियों और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए लंबाई में 2.5 सें.मी. तक और भार में 2 कि.ग्रा. तक की छूट ।
---	---

##### (ii) शारीरिक परीक्षा

पैदल चलना	:	20 मिनट में 1 कि.मी.
साइकिल चलाना	:	25 मिनट में 3 कि.मी.

टिप्पणी :- निरीक्षक, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, परीक्षक और निवारक अधिकारी के पद के लिए सीबीईसी के दिनांक 20.11.2013 के पत्र सं. सी-18013/23/2013-प्रशा.॥ ख के अनुसार निशक्त व्यक्तियों को केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क में निरीक्षक उत्पाद शुल्क, परीक्षक और निवारक अधिकारी के पद के लिए निर्धारित शारीरिक मानदंडों जैसे लम्बाई, सीना एवं वजन को पूरा करना होगा । तथापि, अस्थि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक परीक्षा में निम्नलिखित छूट की अनुमति है :-

क. एक पैर और एक बांह और एक पैर की श्रेणियों के मामले में पैदल चलने की परीक्षा पर बल नहीं दिया जाएगा ।

ख. एक बांह, एक पैर और एक बांह और एक पैर की श्रेणियों के मामले में साइकिल चलाने संबंधी परीक्षा पर बल नहीं दिया जाएगा ।

**11(ख) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में उप-निरीक्षक के पद के लिए शारीरिक मापदंड**

**क) लंबाई :**

पुरुषों के लिए : 165 सें.मी.

महिलाओं के लिए: 150 सें.मी.

पहाड़ियों और जनजातियों के लिए लंबाई में छूट : 5 सें. मी.

**ख) सीना :**

फुलाने पर 76 सें.मी.(महिला अभ्यर्थियों के मामले में इसकी आवश्यकता नहीं है )

**ग) दृष्टि:**

आंखों की दृष्टि : (चश्मा लगाकर या बिना चश्मा लगाए हुए)

दूर की दृष्टि : एक आंख में 6/6 तथा दूसरी आंख में 6/9

निकट की दृष्टि : एक आंख में 0.6 तथा दूसरी आंख में 0.8

**11 (ग): राष्ट्रीय जांच अभिरक्षण में उपनिरीक्षक के पद हेतु शारीरिक मापदण्ड:**

**क) लंबाई :**

पुरुषों के लिए : 170 सें.मी.

महिलाओं के लिए: 150 सें.मी.

पहाड़ियों और जनजातियों के लिए लंबाई में छूट : 5 सें. मी.

**ख) सीना :**

फुलाने पर 76 सें.मी.(महिला अभ्यर्थियों के मामले में इसकी आवश्यकता नहीं है )

**ग) दृष्टि:**

आंखों की दृष्टि : (चश्मा लगाकर या बिना चश्मा लगाए हुए)

दूर की दृष्टि : एक आंख में 6/6 तथा दूसरी आंख में 6/9

निकट की दृष्टि : एक आंख में 0.6 तथा दूसरी आंख में 0.8

**टिप्पणी :** अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे पद की किसी श्रेणी का विकल्प देने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वे उस श्रेणी की अपेक्षाएं पूरी करते हैं । अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक माप(दृष्टि परीक्षण सहित) का आयोजन संबंधित मांगकर्ता विभागों द्वारा किया जाएगा और सिर्फ वे अभ्यर्थी संबंधित पदों के लिए पात्र होंगे जो विनिर्दिष्ट शारीरिक मापदण्डों को पूरा करते हैं । यदि नामित अभ्यर्थी शारीरिक अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पाते तो आयोग द्वारा किसी अन्य सेवा/पदों की श्रेणी के आबंटन संबंधी अभ्यर्थी के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा । इस प्रकार, पात्रता संबंधी मापदण्ड को पूरा करने का दायित्व पूर्णतः ऐसे पदों के लिए विकल्प देने वाले अभ्यर्थियों पर ही होगा ।

**12. कम्प्यूटर आधारित लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा अनुपालन हेतु सामान्य अनुदेश**

अभ्यर्थियों को स्वयं अपने हाथ से प्रश्नपत्र लिखने/उत्तर दर्शाने होंगे ।

प्रश्न पत्रों में, जहां कहीं भी आवश्यक हो, भार और माप की केवल मीट्रिक प्रणालियों का उपयोग किया जाएगा

अभ्यर्थियों को मोबाइल फोन, कैल्क्यूलेटर और अन्य इलैक्ट्रॉनिक साधनों का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है । इसलिए इन्हें परीक्षा परिसर/स्थल के अन्दर नहीं लाना चाहिए ।

यदि किसी अभ्यर्थी के पास चालू अथवा बंद स्थिति में मोबाइल फोन अथवा वेतार संचार का कोई अन्य माध्यम पाया जाता है तो उसकी अभ्यर्थिता उसी क्षण निरस्त कर दी जाएगी। उसके खिलाफ आयोग की नीति के अनुसार दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल में किन्हीं अनुचित साधनों का प्रयोग न करने की सलाह दी जाती है जिससे अगली परीक्षाओं में भाग लेने के लिए अपात्र हो जाएंगे तथा आयोग की भविष्य की परीक्षाओं से वारित करने के साथ-साथ उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

### 13. चयन का तरीका:

I. कम्प्यूटर आधारित परीक्षा और डाटा एंट्री कौशल परीक्षा/कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा/दस्तावेज सत्यापन जहां कहीं लागू हो, के पश्चात्, आयोग उन अभ्यर्थियों की प्रत्येक श्रेणी के पद के लिए अखिल भारतीय योग्यता सूची तैयार करेगा। आयोग द्वारा जितने भी अभ्यर्थी परीक्षा में अर्हक पाए जाते हैं उनकी आयोग द्वारा उपलब्ध रिक्तियों की संख्या तक पदों के लिए दिए गए विकल्प को ध्यान में रखते हुए पद की प्रत्येक श्रेणी के लिए नियुक्ति की सिफारिश की जाएगी।

II. आयोग लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंकों और दस्तावेज सत्यापन के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा दी गई वरीयता को देखते हुए अभ्यर्थियों को योग्यता सूची में अनुशंसित करेगा। अभ्यर्थी द्वारा एक बार उसकी प्रथम उपलब्ध वरीयता दिए जाने के बाद उसके नाम पर अन्य विकल्पों के लिए विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए, अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में वरीयता का चयन सावधानीपूर्वक करने की सलाह दी जाती है। अभ्यर्थियों द्वारा एक बार दिया गया विकल्प/वरीयता अंतिम माना जाएगा और अपरिवर्तनीय होगा। अभ्यर्थियों द्वारा आबंटन/सेवा के परिवर्तन किए जाने संबंधी बाद में किए गए किसी भी अनुरोध पर किन्हीं भी परिस्थितियों/कारणों से विचार नहीं किया जाएगा।

III. अजा, अजजा, अपिव और शा.दि. के अभ्यर्थी सहित जो अन्य समुदायों के अभ्यर्थियों के साथ मानकों में छूट दिए बिना ही अपनी योग्यता से चयनित होते हैं तो उन्हें आरक्षित रिक्तियों के समक्ष समायोजित नहीं किया जाएगा। ऐसे अजा, अजजा, अपिव और शा.दि. अभ्यर्थियों को योग्यता सूची में उनकी समग्र स्थिति अथवा उनकी श्रेणी के लिए उद्दिष्ट दी गई रिक्तियों के अनुसार सामान्य/अनारक्षित रिक्तियों में उस पद से सहयोजित किया जाएगा, जो उनके लिए लाभप्रद है। आरक्षित रिक्तियां अलग से अजा, अजजा, अपिव और शा.दि. श्रेणी के उन योग्य अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी जो कि अनारक्षित श्रेणी की योग्यता सूची में अंतिम सामान्य अभ्यर्थी से योग्यता क्रम में नीचे हैं किंतु मानकों में छूट देने पर वे अन्य प्रकार से नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाए गए हों।

IV. शारीरिक रूप से दिव्यांग(अदि/श्रदि/दृदि) व्यक्ति, जो सामान्य मानकों के अंतर्गत आयोग की परीक्षा में अर्हता प्राप्त करता है, को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते कि संगत श्रेणी के विकलांग व्यक्ति के लिए वह पद उपयुक्त पाया गया हो।

V. किसी भूतपूर्व सैनिक या शारीरिक विकलांग (अ.वि./श्र.वि./दृ.वि) श्रेणी के अभ्यर्थी को आयु सीमा, अनुभव या योग्यता लिखित परीक्षा में अनुमत्य अवसरों की संख्या, एक्सटेंडिड जोन ऑफ कंसीडरेशन आदि जैसे मानकों में छूट के आधार पर अर्हता प्राप्त करता है, आरक्षित रिक्तियों में शामिल किया जाएगा, न कि सामान्य रिक्तियों में बशर्ते कि ऐसा अभ्यर्थी चयन के लिए उपयुक्त हो। ऐसे अभ्यर्थियों को योग्यताक्रम में उनके रैंक पर ध्यान दिए बिना आरक्षित कोटे में कमी को पूरा करने के लिए उनके लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक मानकों में छूट देकर नियुक्ति हेतु अनुशंसित किया जा सकता है। जहां तक भू.पू.सै. के मामलों का संबंध है, आरक्षित या अनारक्षित पदों के लिए भू.पू.सै. को आयु में कटौती करने की अनुमति है तथा इस छूट को आयु के संदर्भ में मानकों में छूट नहीं कहा जा सकता।

VI. जब तक सरकार यथावश्यक जांच के पश्चात इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है, तब तक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के आधार पर अभ्यर्थी को नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता है।

VII. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इस परीक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं। परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश पूर्णतया अनन्तिम होगा, बशर्ते वे पात्रता की निर्धारित शर्तें पूरी करते हों। लिखित परीक्षा से पहले अथवा बाद में जाँच करने पर यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि वे पात्रता की किसी शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी

14. **बराबरी (टाई) के मामलों का निपटारा**(बराबरी(टाई) के मामलों का निपटारा एक के बाद दूसरे तरीकों को, जब तक बराबरी का निपटारा नहीं हो जाता, को अपनाते हुए किया जाएगा )

- i) कम्प्यूटर आधारित लिखित परीक्षा में कुल अंकों को देखकर।
- ii) टियर-II परीक्षा के कुल अंकों को देखकर
- iii) टियर-I परीक्षा के कुल अंकों को देखकर
- iv) जन्म-तिथि देखकर, अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को ऊपर रखा जाता है।
- v) वर्णानुक्रम को देखकर जिसमें वर्णानुक्रम के अनुसार अभ्यर्थी का नाम पहले आए।

15. **आवेदन कैसे करें :** आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही जमा किए जाएं। आवेदन पत्र भरने से संबंधित विस्तृत अनुदेशों के लिए इस संबंध में अनुबंध-II (ख) देखा जा सकता है।

#### 16. वरीयता:

यह परीक्षा विभिन्न योग्यताओं और अन्य अपेक्षाओं के साथ एक से अधिक पदों के लिए आयोजित की जा रही है। अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के समय बड़ी सावधानीपूर्वक अपनी पद-वार वरीयता दर्शानी होगी। यदि उसने किसी भी पद के लिए अपनी वरीयता नहीं दर्शायी है तो किसी भी पद के लिए उसके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन में दिया गया विकल्प अंतिम होगा और इसलिए अभ्यर्थियों को उन पदों के लिए सावधानीपूर्वक विकल्प देने की सलाह दी जाती है।

#### 17. परीक्षा में प्रवेश:

परीक्षा संबंधी प्रवेश पत्र(प्र.प.) में प्रत्येक अभ्यर्थी को परीक्षा की समय सूची तथा परीक्षा स्थल की जानकारी दी जाएगी, परीक्षा तिथि से लगभग दो सप्ताह पूर्व संबंधित आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी को परीक्षा की तिथि से एक सप्ताह पूर्व तक प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं होता है तो उसे तत्काल आवेदन प्रस्तुत करने के अपने प्रमाण के साथ आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। ऐसा न करने पर परीक्षा में बैठने संबंधी दावे पर विचार किए जाने से वह वंचित हो जाएगा। **अभ्यर्थियों के पास संबंधित क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट से प्रवेशपत्र डाउनलोड करने का विकल्प भी है।** इस प्रकार की सुविधा परीक्षा से लगभग एक सप्ताह पहले तक उपलब्ध होगी।

#### 18 . **दुर्व्यवहार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई :**

अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि उन्हें आवेदन भरते समय कोई गलत विवरण नहीं देना चाहिए अथवा कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं छुपानी चाहिए। अभ्यर्थियों को यह चेतावनी भी जाती है कि उन्हें कोई हेर-फेर करने का प्रयास नहीं करना चाहिए अथवा दस्तावेज में अथवा उनके द्वारा प्रस्तुत सत्यापित प्रमाणित प्रति में कोई गलत

प्रविष्टि नहीं करनी चाहिए न ही उन्हें नकली/जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए । यदि ओएमआर पत्रक भरने में कोई अशुद्धि अथवा कोई विसंगति पाई जाती है, तो उनका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा ।

निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के संबंध में उनके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई/वारित किए जाने के पूर्वाग्रह के बिना आयोग की परीक्षा से जहाँ भी आवश्यक हो उनकी अभ्यर्थिता भर्ती के किसी भी चरण में सरसरी तौर पर निरस्त कर दी जाएगी :

- (i) परीक्षा केन्द्र के परिसरों में मोबाइल फोन एवं अन्य सामग्री, ब्युटुथ उपकरण तथा अन्य इलैक्ट्रॉनिक गैजिट अपने पास रखने पर, चाहें इनका प्रयोग हो रहा है या बन्द हो ।
- (ii) कदाचार में लिप्त पाए जाने पर ।
- (iii) परीक्षा भवन में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर
- (iv) किसी भी प्रकार से अपनी अभ्यर्थिता के लिए समर्थन प्राप्त किया हो ।
- (v) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्यसाधन कराया हो ।
- (vi) जाली दस्तावेज अथवा ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, जिनमें हेर-फेर किया गया हो ।
- (vii) गलत अथवा झूठे वक्तव्य दिए हैं, अथवा किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया गया है ।
- (viii) परीक्षा के लिए अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया हो ।
- (ix) परीक्षा हॉल में पर्यवेक्षक, निरीक्षक अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि के साथ दुर्व्यवहार किया हो ।
- (x) परीक्षा संचालन के दौरान परीक्षा भवन से उत्तर-पुस्तिका अपने साथ उठाकर ले गया हो या इसे परीक्षा के दौरान अप्राधिकृत व्यक्ति को दिया हो ।
- (xi) परीक्षा के संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारियों को परेशान किया हो या उन्हें शारीरिक क्षति पहुंचाई हो ।
- (xii) विज्ञप्ति में उल्लिखित पात्रता शर्तों को पूरा न करते हुए परीक्षा के लिए अपात्र होना ।
- (xiii) पात्रता भर्ती के किसी भी चरण में किसी भी आधार पर जिसे आयोग अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए पर्याप्त कारण समझे अभ्यर्थिता रद्द भी की जा सकती है ।

## 19. आयोग का निर्णय अंतिम :

पात्रता, आवेदनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन के तरीके, परीक्षा(ओं) के आयोजन, परीक्षा केन्द्रों के आबंटन, चयनित अभ्यर्थियों को पदों/संगठनों के चयन तथा आबंटन संबंधी सभी मामलों में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध में कोई पूछताछ/पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा ।

## 20. न्यायालय का क्षेत्राधिकार

इस भर्ती से संबंधित कोई विवाद उस न्यायालय/न्यायाधिकरण के अधीन होगा जिसके न्याय क्षेत्र में कर्मचारी चयन आयोग का वह संबंधित क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है, जहां अभ्यर्थी ने अपना आवेदन प्रस्तुत किया है ।

21. रोजगार के अवसरों में बेरोजगार अभ्यर्थियों की पहुँच बढ़ाने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21.06.2016 के का ज्ञा. 39020/1/2016-स्था.(ख) के तहत जारी निर्देशों के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि अंतिम परिणाम की घोषणा के पश्चात् आयोग द्वारा आयोजित उक्त खुली प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के अंकों तथा रैंकिंग को आयोग की अपनी वेबसाइट पर घटती हुई रैंकिंग क्रम में प्रदर्शित किया जाएगा। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि अभ्यर्थियों के निम्नलिखित ब्यौरों को इस वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा:



- (i) अभ्यर्थी का नाम
- (ii) पिता/पति का नाम
- (iii) जन्म तिथि
- (iv) श्रेणी (सामान्य/अजा/अजजा /अपिव/शादि/अल्पसंख्यक)
- (v) अभ्यर्थी का लिंग
- (vi) शैक्षिक योग्यता
- (vii) अर्हक परीक्षा में प्राप्त कुल अंक
- (viii) रैंकिंग, जिसके द्वारा योग्यता का निर्धारण किया गया है।
- (ix) पूर्ण पता
- (x) ई-मेल

तथापित अभ्यर्थियों के पास अपना आवेदन पत्र भरते समय उपरोक्त विवरण को सार्वजनिक न करने का विकल्प होगा। तदनुसार केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के अंक तथा रैंक आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी, जिन्होंने उपरोक्त ब्यौरा प्रकट करने का विकल्प दिया है अथवा असावधानीवश अपना विकल्प नहीं दिया है।

## 22. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश :

- (i) यह परीक्षा टियर-I तथा टियर-II (प्रश्न पत्र-I, प्रश्नपत्र-II, प्रश्न पत्र-III तथा प्रश्नपत्र-IV) के लिए कम्प्यूटर आधारित परीक्षा, टियर-III के लिए लिखित वर्णनात्मक परीक्षा तथा टियर-IV के लिए क.प.प/डा.ए.कौ.प/दस्तावेज सत्यापन के रूप में होगी।
- (ii) कर्मचारी चयन आयोग लिखित परीक्षा के समय पात्रता एवं अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की विस्तृत संवीक्षा नहीं करेगा, इसलिए आवेदन केवल अनंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पूर्व शैक्षिक योग्यता, आयु इत्यादि की अपेक्षाओं को देख लें और अपनी संतुष्टि कर लें कि वे इसके लिए पात्र हैं। सहायक दस्तावेजों की प्रतियां दस्तावेज सत्यापन के समय मांगा जाएगा। संवीक्षा करने पर यदि यह पाया जाता है कि कोई सूचना अथवा दावा ठीक नहीं है, तो उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी तथा इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
- (iii) अजा/अजजा/अपिव/शा. दि. (दिव्यांग व्यक्ति)/भूपूसै के लिए उपलब्ध आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि वे इस विज्ञप्ति में निर्धारित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण के हकदार हैं। उनके पास आवेदन के समय इस विज्ञप्ति में दिए अनुसार अपने दावे के समर्थन में विहित प्रपत्र में अपेक्षित प्रमाणपत्र भी होने चाहिए।
- (iv) केवल 40% और उससे अधिक की दृष्टि दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों को ही **दृष्टि दिव्यांग** माना जाएगा और वे **दृष्टि** अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण के हकदार होंगे, जहाँ कहीं भी यह आरक्षण उपलब्ध है।
- (v) आयु में छूट का दावा करने वाले केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारियों को अपने कार्यालय से लगातार सेवा की अवधि के संबंध में विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि से तत्काल पूर्व अवधि में कम से कम तीन वर्ष की लगातार सेवा अवधि के संबंध में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए। उनके चयन की स्थिति में उनकी नियुक्ति के समय तक वे केन्द्र सरकार सिविल कर्मचारी होने चाहिए।

- (VI) **शुल्क: एक सौ रुपए केवल(100/-रुपए)**  
**महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शारीरिक रूप से दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिकों (आरक्षण के लिए पात्र) से संबंधित अभ्यर्थियों को वर्तमान सरकारी आदेशों के अनुसार आवेदन शुल्क भरने से छूट है।**
- (VII) अंतिम तिथि : 16.06.2017 (सायं 5:00 बजे तक)
- (VIII) संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2017 के लिए अभ्यर्थियों द्वारा केवल एक ही आवेदन, ऑनलाइन जमा कराया जाए। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र भरते समय सावधानी बरतें। परीक्षा में उपस्थित होते समय अभ्यर्थियों को वचन देना अपेक्षित होगा कि उन्होंने केवल एक ही आवेदन जमा किया है।
- (IX) परीक्षा केन्द्रों के परिसर के अंदर मोबाइल और अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पाबंदी है। परीक्षा हॉल के अंदर इस प्रकार के किसी उपकरण के पाए जाने पर, चाहे वह उपयोग में हो अथवा बंद हो उसे अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए समझा जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। उनके विरुद्ध आयोग द्वारा लिए गए निर्णयानुसार आपराधिक कार्रवाई एवं 3(तीन) वर्ष तक आयोग की परीक्षा से वारित किया जा सकता है।
- (X) ऑनलाइन आवेदन (डेबिट कार्ड के माध्यम से शुल्क का भुगतान सहित) करने की सुविधा 16.05.2017 से 16.06.2017 (सायं 5.00 बजे) तक उपलब्ध होगी। तथापि, जो भारतीय स्टेट बैंक के चालान के माध्यम से भुगतान करने के इच्छुक हैं, वे 19.06.2017 तक बैंक के कार्यदिवसों में भारतीय स्टेट बैंक की निर्धारित शाखाओं में भुगतान कर सकते हैं बशर्ते कि उनके द्वारा 16.06.2017 को सायं 5.00 बजे से पहले चालान निकाल लिया जाए। अभ्यर्थियों को आयोग के साथ पत्राचार करने के लिए उन्हें दिया गया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर और शुल्क भुगतान का ब्यौरा अपने पास रखना चाहिए। उन्हें आयोग में अपने आवेदन का प्रिंट आउट जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
- (XI) भारतीय स्टेट बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक चालान/नेट बैंकिंग (एस.बी.आई.)/ किसी अन्य बैंक से क्रेडिट और डेबिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान जैसा कि ऊपर बताया गया है को छोड़कर अन्य तरीके से शुल्क भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन स्पष्ट रूप से निरस्त कर दिया जाएगा तथा भुगतान जब्त कर लिया जाएगा।
- (xii) अभ्यर्थियों को मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में उल्लेख किए अनुसार ही अपना नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम और माता का नाम लिखना चाहिए अन्यथा दस्तावेज सत्यापन के समय अथवा आयोग के ध्यान में आने पर उनकी अभ्यर्थिता सरसरी तौर पर रद्द कर दी जाएगी।
- (xiii) आवेदन जमा करने की तिथि को उपलब्ध मैट्रिक्यूलेशन/माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र अथवा समकक्ष प्रमाणपत्र में यथा रूप में दर्ज जन्म तिथि को ही जन्म तिथि प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार किया जाएगा।
- (xiv) अभ्यर्थी पासपोर्ट आकार के 3 रंगीन फोटोग्राफ जरूर लाएं। फोटोग्राफ न लाने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (xv) सभी पद अखिल भारतीय सेवा दायित्व (अ.भा.से.दा.) वाले हैं अर्थात् चयनित होने पर अभ्यर्थी को देश के किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए कहा जा सकता है।
- (xvi) उपरोक्त परीक्षा के लिए कोई भी प्रवेश प्रमाणपत्र डाक द्वारा जारी नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट से परीक्षा के लिए प्रवेश प्रमाणपत्र डाउनलोड करना अपेक्षित है।

(xvii) कौशल परीक्षा/टंकण परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों से कौशल परीक्षा/टंकण परीक्षा के समय मंत्रालय/विभाग/कार्यालय के लिए वरीयता ली जाएगी। उस समय अभ्यर्थी द्वारा प्रदान किए गए डाटा को अंतिम रूप से स्वीकार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा।

(xviii) अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि वे शिकायत यदि कोई हो तो उसके शीघ्र निवारण के लिए आवेदन पत्र में अपनी आधार संख्या का उल्लेख करें हांलाकि, यह अनिवार्य नहीं है।

(xix) फोटोग्राफ फाइल का डिजीटल आकार 30 के.बी. से ज्यादा तथा 50 के.बी. से कम होना चाहिए।

(xx) हस्ताक्षर जे.पी.जी. फॉर्मेट में ही अपलोड किए जाएं। हस्ताक्षर की फाइल का डिजीटल आकार 1 के.बी. से ज्यादा तथा 12 के.बी. से कम होना चाहिए।

(xxi) एक बार जमा किए गए आवेदन पत्र के किसी भी विवरण में परिवर्तन /सुधार के अनुरोध को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(xxii) कृपया प्रमाणपत्र/अनुबंधों के प्रपत्र के लिए हमारी वेबसाइट [www.ssc.nic.in](http://www.ssc.nic.in) देखें।

आवेदन पत्र से संबंधित विस्तृत अनुदेश, आवेदन पत्र भरने के लिए अनुदेश तथा ऑनलाइन भुगतान/आवेदन जमा करने के लिए अभ्यर्थियों को अनुबंध-II ख देखने की सलाह दी जाती है।

अवर सचिव (नी.व यो.-I)